



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228207
CG-DL-E-09072021-228207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2546]
No. 2546]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/ आषाढ़ 18, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

का.आ. 2751(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.251(अ) दिनांक 19 जनवरी, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH752G के कि.मी. 104.600 से कि.मी.128.600 चांदवड से मनमाड रोड (सेक्शन-4) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "09 अप्रैल, 2021" को "देशदुत टाईम्स (इंग्रजी)" और "देशदुत टाईम्स (मराठी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुऐ है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH752G के कि.मी. 104.600 से कि.मी.128.600 चांदवड से मनमाड रोड (सेक्शन-4) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नासिक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चांदवड				
	गांव का नाम: चांदवड				
1	330	निजी	शुष्क	0.045	अरुण मुरलीधर गवळी, केशव त्रंबक गवळी, गुलाब त्रंबक गवळी, दिपाली पोपट गवळी, यमुनाबाई त्रंबक गवळी, रुपाली पोपट गवळी, शेवंताबाई मुरलीधर गवळी, मदन वसंत गवळी, महेश वसंत गवळी, सविता किरण मोरे, सुनिता भाऊसाहेब सोनवणे, रेखा वसंत गवळी, कविता विशाल सोनवणे, वनिता भारत सोनवणे, आशा रमेश मोरे, उषा विलास गांगुर्डे, लता संतोष बच्छाव, सुशिला केशव बच्छाव, रेखा रविकांत गवळी, भावीन रविकांत गवळी, भाग्यश्री रविकांत गवळी (३३०)
	गांव का नाम: हरनुल				
2	34	निजी	शुष्क	0.0659	लीलाबाई बाजीराव चव्हाण, काशिनाथ भिका पेंढारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुगाव (34)
			कुल	0.1109	

[फा. सं. NH-12014/49/2015-MAH(P-6)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th July, 2021

S.O. 2751(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No.S.O.251(E) dated 19 January, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH752G on the stretch of land from Km 104.600 to Km 128.600 Chandwad to Manmad (Section-4) in the district of NASHIK in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Deshdoot Times (English)” and Deshdoot Times (Marathi)” both dated 09 April, 2021 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority Deputy Collector (Land Aquisition) National Highway Project, Nashik and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH752G in the stretch of land from Km 104.600 to Km 128.600 Chandwad to Manmad (Section-4) in the district of NASHIK in the state of

MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: NASHIK		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chandawad				
	Village: Chandwad				
1	330	Private	Dry	0.045	Arun Murlidhar Gavali, Keshav Trambak Gavali, Gulab Trambak Gavali, Deepali Popat Gavali, Yamunabai Trambak Gavali, Rupali Popat Gavali, Shevntabai Murlidhar Gavali, Madan Vasant Gavali, Mahesh Vasant Gavali, Savita Kiran More, Sunita Bhausaheb Sonawane, Rekha Vasant Gavali, Kavita Vishal Sonawane, Vanita Bharat Sonawane, Asha Ramesh More, Usha Vilas Gangurde, Lata Santosh Bachchav, Sushila Keshav Bachchav, Rekha Ravikant Gavli, Bhavin Ravikant

					Gavli, Bhagyashree Ravikant Gavli 330
	Village: Harnul				
2	34	Private	Dry	0.0659	Lilabai Bajirao Chavhan, Kashinath Bhika Pendhari, State Bank of India Dugaon 34
			TOTAL	0.1109	

[F. No. NH-12014/49/2015-MAH(P-6)/3D]

RAJESH GUPTA, Director